UPGK160008702003

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर।</u>

उपस्थितः- प्राग दत्त शुक्ल, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

CNR No:- UPGK-1600-0870-2003

मुकदमा संख्या – 999/2003

राज्य--अभियोजन पक्ष

बनाम

मनोज द्विवेदी पुत्र स्व० श्री सुरेन्द्र द्विवेदी

निवासी- मु० हुमायूँपुर, थाना गोरखनाथ, जिला गोरखपुर**.............अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या- 40/2003

धारा- 323,504 भा०दं०सं०

व 145, 146 रेल अधिनियम

थाना- जी०आर०पी०, गोरखपुर।

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्त मनोज द्विवेदी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 999/2003, मुकदमा अपराध सं० 40/2003 अंतर्गत धारा 323,504 भा०दं०सं० व 145, 146 रेल अधिनियम थाना जी०आर०पी०, गोरखपुर में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.2003 को समय लगभग 03:00 बजे ट्रेन नंबर 5223 के ए०सी० कोच में अभियुक्त नशे की हालत में वादी मुकदमा श्री श्याम देव यादव, टी.टी.आई. को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज देते हुए थप्पड़ से मारा तथा वादी मुकदमा के साथ झगड़ा कर अभद्र व्यवहार करते हुए जानबूझकर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न किया।

3. विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जाँच, अभिलेख संकलन किया गया, गवाहों का बयान लिया गया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया। जाँचोपरांत अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध शिकायत-पत्र अंतर्गत अपराध संख्या 40/2003 धारा 323,504 भा०दं०सं० व 145, 146 रेल अधिनियम में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्त मनोज द्विवेदी ने अपनी-अपनी जमानत करायी। अभियुक्त मनोज द्विवेदी के विरूद्ध दिनांक 26.08.2005 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की याचना की।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन साक्षी के रूप में वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 श्याम देव यादव का साक्ष्य अंकित कराया गया।

5. अभियोजन अभिलेखों की प्रमाणिकता विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण शेष औपचारिक साक्षीगण परिक्षित नहीं कराये गये। तदैव अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. तत्पश्चात अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 18.02.2025 को अंकित कराया गया। जिसमें उन्होंने घटना को रंजिश्न बताते हुए कोई कथन नहीं किये जाने का कथन किया है एवं स्वयं को निर्दोष बताते हुए सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया है।

7. न्यायालय को यह निर्णय करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि नहीं?

8. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दिनांक 03.02.2003 को समय लगभग 03:00 बजे ट्रेन नंबर 5223 के ए०सी० कोच में अभियुक्त नशे की हालत में वादी मुकदमा श्री श्याम देव यादव, टी.टी.आई. को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज देते हुए थप्पड़ से मारा तथा वादी मुकदमा के साथ झगड़ा कर अभद्र व्यवहार करते हुए जानबूझकर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न किया।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने कथन को साबित करने के लिए पी०डब्लू०-1 के रूप में वादी मुकदमा श्याम देव यादव को परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 03.02.2003 को मैं ट्रेन नंबर 5223 छपरा ग्वालियर पर कार्यरत था, ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर 3 बजे सुबह गोरखपुर प्लेटफार्म नंबर 3 पर रुकी तो एक व्यक्ति जो दारू के नशे में लग रहे थे की ए.सी. कोच पर आकर 3-4 व्यक्तियों के साथ डिब्बे के अंदर बैठना चाहे, जिन्हें मैंने मना कियो तो अपने की टी.सी. बताकर वाद-विवाद करने लगे। इसी बीच टी.टी. एस.के. सुमन एवं जी.जी. गुप्ता आकर बीच बचाव किये। वर्तमान में इन दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति भीड़ में से पकड़ में आया। इस संबंध में मैंने थाना जी०आर०पी० में अपने हस्तलेख में प्रार्थना-पत्र दिया था। जो पत्रावली में शामिल मिसिल है, जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया। हाजिर अदालत अभियुक्त को देखकर साक्षी द्वारा कहा गया कि इस द्वारा मार-पीट नहीं की गई है। मेरे चोटें आई थी, मेरा मेडिकल सदर अस्पताल में हुआ था। साक्षी पक्षद्रोही घोषित।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि साक्षी ने कहा कि हाजिर अदालत मुल्जिम ने मेरे साथ मारपीट नहीं की गई थी। मैंने एक व्यक्ति को पकड़ कर जी.आर.पी. को सुपुर्द किया था किन्तु यह व्यक्ति वह नहीं है। हाजिर अदालत मुल्जिम ने गाली गलौज नहीं की थी। यह कहना सही है कि मनोज द्विवेदी (अभियुक्त) रेलवे में कर्मचारी हैं और हमारा उनसे कोई वाद-विवाद नहीं है और हम लोग प्रेम से रहते हैं। दरोगा जी को मैंने मुल्जिम का नाम नहीं बताया था न ही मैंने उनको बयान दिया था। उन्होंने कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता और उन्होंने मनोज द्विवेदी को कैसे मुल्जिम बना दिया यह मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैं भी उस समय रेलवे में कर्मचारी था और मुल्जिम भी रेलवे में कर्मचारी था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम से सुलह समझौता हो जाने के कारण या किसी डर भय के कारण आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

10. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अनुसार **उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 भा.दं.सं. में उपबन्ध है जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा,** वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

11. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अनुसार **जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति**

को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक-शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

12. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के अनुसार **यदि किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति मत्तता की हालत में होगा या कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली-गलौज की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा या जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुख-सुविधा में बाधा डालेगा जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा पर प्रभाव पड़ता हो,** वह रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

13. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 की धारा 146 के अनुसार **यदि कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा या रुकावट डालेगा,** वह रेल अधिनियम, 1989 की धारा 146 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

14. इस संबंध में यदि प्रस्तुत प्रकरण में साक्षियों के परीक्षा का विश्लेषण करें तो अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-1 ने बयान में अभियुक्त के नाम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है बल्कि कथन किया है कि घटना के दौरान एक व्यक्ति भीड़ में से पकड़ में आया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि **अभियुक्त मनोज द्विवेदी को देखकर साक्षी द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा मार-पीट नहीं की गई है।** अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा भी **अभियुक्त द्वारा मार-पीट व गाली गलौज नहीं किये जाने का कथन किया है** साथ ही यह भी कथन किया है कि घटना के दिन साक्षी ने स्वयं एक आदमी को पकड़कर थाने पर सुपुर्द किया था परंतु वह व्यक्ति **अभियुक्त मनोज द्विवेदी नहीं हैं। इस साक्षी ने अभियुक्त मनोज द्विवेदी से कोई वाद-विवाद नहीं होने का भी कथन किया है।**

15. माननीय न्यायालय ने **इकबाल मूसा पटैल वि० गुजरात राज्य (2011) 2 एस०सी०सी० 198 एवं कृष्णन वि० राज्य (2003) 7 एस०सी०सी० 56** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सदैव अपने मामले को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

16. इस सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एच०पी०एडमिनिस्ट्रेशन-बनाम-ओमप्रकाश ए०आई०आर० 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा।

17. यह भी विचारणीय तथ्य है कि प्रस्तुत मुकदमें अभियुक्त मनोज द्विवेदी के विरूद्ध धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व 145, 146 रेल अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है परंतु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन कथानक साबित हो सके।

18. इस प्रकार अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से विदित हो रहा है कि अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी ने अभियुक्त मनोज द्विवेदी के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा ऐसा बयानों में कथन नहीं किया है जिससे कि यह साबित हो कि दिनांक 03.02.2003 को समय लगभग 03:00 बजे ट्रेन नंबर 5223 के ए०सी० कोच में अभियुक्त नशे की हालत में वादी मुकदमा श्री श्याम देव यादव, टी.टी.आई. को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज देते हुए थप्पड़ से मारा तथा वादी मुकदमा के साथ झगड़ा कर अभद्र व्यवहार करते हुए जानबूझकर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न किया।

19. अतः अभियोजन अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त मनोज द्विवेदी के ऊपर लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व 145, 146 रेल अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

20. उपरोक्त विचारण उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन पक्ष अपने कथन को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त मनोज द्विवेदी विरचित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त मनोज द्विवेदी को मुकदमा नम्बर 999/2003, मुकदमा अपराध संख्या 40/2003, अंतर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व 145, 146 रेल अधिनियम थाना जी०आर०पी०, गोरखपुर के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, अतः उनका मुचलका व जमानतनामा निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। धारा 437(a)दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक- 07.04.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर
JO Code– UP 02254

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक- 07.04.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर
JO Code– UP 02254